

1 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 434 / 2016 ई0फौ0

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 434 / 2016

संस्थापित दिनांक 26 / 07 / 2016

फाइलिंग नं. RCT/300920/2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियोजन

बनाम

1. मोहनलाल बघेल पुत्र मानजीत बघेल उम्र 28 वर्ष
निवासी— ग्राम निबरोल थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—279, 337, 427 भा0द0स0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39 / 192, 146 / 196)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य ।)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता— श्री सतीश मिश्रा ।)

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 12 / 03 / 2018 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 10.06.2015 को रात्रि करीबन 8:00 बजे फरियादी मुबारकबेग के मकान के सामने ग्राम निबरोल में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन एच0एम0टी0 टैक्टर जिसका इंजन नं0 199085198 एवं चैचिस नं0 98148080060 था, को बिना रजिस्ट्रेशन एवं बीमा के उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करते हुए आहत शबनमवानो को चोट पहुंचाकर उसे साधारण उपहति एवं उसी समय फरियादी मुबारकबेग को सदोष हानि कारित करने के आशय से अपने आधिपत्य के ए0एम0टी0 टैक्टर जिसका इंजन 199085198 एवं चैचिस नं0 98148080060 था, से फरियादी मुबारकबेग की दीवार तोड़कर उसे 49000 /— रुपए का नुकसान कारित कर रिप्टी कारित करने हेतु भा0द0स0 की धारा 279, 337, 427 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 39 / 192 एवं 146 / 196 के अंतर्गत अपराध विवरण निर्मित किया गया ।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 10.06.2015 को शाम करीबन आठ बजे फरियादी मुबारकबेग की पत्नि शबनम बानों घर के अंदर लस्सी बना रही थी, तभी मानजीत बघेल के लाल रंग के एच0एम0टी0 टैक्टर का चालक टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और उसकी कच्चे मकान की दीवार में टककर मार दी थी, जिससे उसकी पत्नि शबनम बानों दीवार के नीचे दब गई थी और उसके पूरे शरीर चोट आ गई थी। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद में की गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र0 173 / 15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया आरोपी को अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि विचारण के दौरान प्रकरण में फरियादी मुबारकबेग एवं आहत शबनम द्वारा आरोपी से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपी को पूर्व में ही भा0द0सं0 की धारा 337 एवं 427 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है तथा आरोपी के विरुद्ध मात्र भा0द0सं0 की धारा 279 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 39/192 एवं 146/196 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.06.2015 को रात्रि करीबन 8:00 बजे फरियादी मुबारकबेग के मकान के सामने ग्राम निबरौल में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन एच0एम0टी0 टैक्टर जिसका इंजन नम्बर 199085198 एवं चैचिस नं0 98148080060 था, उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर एच0एम0टी0 टैक्टर जिसका इंजन नम्बर 199085198 एवं चैचिस नं0 98148080060 था को बिना बीमा एवं रजिस्ट्रेशन के चलाया ?

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी मुबारकबेग अ0सा0 1, आहत शबनम अ0सा0 2, साक्षी मानपाल अ0सा0 3, चतुरी अ0सा0 4, सोहनलाल अ0सा0 5 एवं ए0एस0आई हिम्मत सिंह भदौरिया अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में साक्षी रामहंस बघेल अ0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों ही विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी मुबारकबेग अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी मोहनलाल को जानता है। घटना दिनांक 10.06.2015 के शाम 8 बजे की है। उसके घर के अंदर उसकी पत्नी शबनम बानों लस्सी बना रही थी, तभी आरोपी मोहनलाल एच0एम0टी0 लाल रंग के टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया था और उसके कच्चे मकान की दीवार में टककर मार दी थी, टक्कर लगने से उसकी पत्नी शबनम बानों दीवार के नीचे दब गई थी, जिससे उसके पूरे शरीर में चोट आई थी। उसने उक्त संबंध में थाना गोहद में रिपोर्ट में लिखवाई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके घर के आगे से एच0एम0टी0 टैक्टर जब्त किया था, पंचनामा प्र0पी0 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी गृहस्थी का सामान बैड, टीवी, अलमारी, बक्सा, फ्रिज, कूलर, ड्रेसिंग टेबल, पलंग व वर्तन टूट गये थे, जिसका पुलिस ने नुकसानी पंचनामा बनाया था, जो प्र0पी0 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि मोहन उसके गांव का है, उसने जब से होश संभाला है, तब से वह मोहन को जानता है। घटना उसके सामने की है। मोहन ने उसके सामने

उसके मकान में टक्कर मारी थी, उसने रिपोर्ट स्वयं लिखाई थी, उसने प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में मोहन द्वारा टैक्टर चलाने वाली बात लिखा दी थी, यदि न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है।

11. आहत शबनम अ0सा0 2 ने भी फरियादी मुबारकबेग अ0सा0 1 के कथनों का समर्थन किया है एवं आरोपी द्वारा टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी दीवार में टक्कर मार देने बावत् प्रकटीकरण किया है।

12. साक्षी मानपाल अ0सा0 3 एवं चतुरी अ0सा0 4 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।

13. साक्षी सोहनलाल अ0सा0 5 ने जब्तशुदा टैक्टर की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र0पी0 7 को प्रमाणित किया है एवं ए0एस0आई0 हिम्मत सिंह भदौरिया अ0सा0 6 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

15. बचाव के दौरान आरोपी की ओर से साक्षी रामहंस बघेल ब0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है। साक्षी रामहंस ब0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि फरियादी मुबारकबेग का मकान कच्चा है, उसके न्यायलयीन कथन से लगभग दो ढाई साल पहले बरसात में मुबारक का मकान गिर गया था। मोहन में मुबारक के मकान में टैक्टर से टक्कर नहीं मारी थी, मुबारक व मोहन का सरपंची के चुनाव के समय से ही मन मुटाव एवं विवाद चल रहा था इसीकारण मुबारक ने मोहन के खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी। मोहन ने टैक्टर के सभी कागज थाने पर पेश किये थे।

16. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मुबारकबेग अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी मोहनलाल को नाम और शकल से जानता है। घटना वाले दिन उसकी पत्नि शबनम बानों घर के अंदर लस्सी बना रही थी तभी मोहनलाल ने एच0एम0टी0 लाल रंग के टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके कच्चे मकान की दीवार में टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी पत्नि शबनम बानों दीवार के नीचे दब गई थी, जिससे शबनम के पूरे शरीर में चोटें आई थी। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि मोहन उसके गांव का है, जब से उसने होश संभाला है तब से वह मोहन को जानता है, मोहन ने उसके सामने मकान में टक्कर मारी थी, उसने प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में आरोपी मोहनलाल के द्वारा टैक्टर चलाये जाने की बात लिखाई थी, यदि न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। इस प्रकार फरियादी मुबारकबेग अ0सा0 1 ने आरोपी मोहनलाल द्वारा टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसके मकान की दीवार में टक्कर मार देना बताया है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी मोहन उसके गांव है तथा वह मोहन को अच्छी तरह से जानता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी मोहनलाल द्वारा दुर्घटना कारित किये जाने का उल्लेख नहीं है। परन्तु यह भी उल्लेखनीय नहीं है कि फरियादी द्वारा अपने पुलिस कथन में आरोपी मोहन बघेल द्वारा वाहन दुर्घटना कारित करना बताया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एनसाईक्लोपीडिया नहीं है, प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी तथ्यों का उल्लेख होना आवश्यक नहीं है। प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में मानजीत बघेल के टैक्टर से दुर्घटना कारित करने का उल्लेख है एवं फरियादी मुबारकबेग अ0सा0 1 ने अपने पुलिस कथन में यह स्पष्ट बताया है कि दुर्घटना के वक्त आरोपित टैक्टर को मानजीत बघेल का नाती मोहन चला रहा था। फरियादी मुबारकबेग अ0सा0 1 ने अपने न्यायालयीन कथन में आरोपी मोहनलाल द्वारा टैक्टर को तेजी लापरवाही से चलाते हुए उसके मकान की दीवार में टक्कर मार देना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया

गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन कुछ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है।

17. जहां तक आहत शबनम बानों अ0सा0 2 के कथन का प्रश्न है तो शबनम बानों ने भी फरियादी मुबारकवेग अ0सा0 1 के कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह अपने घर के अंदर लस्सी बना रही थी तभी एक टैक्टर ने उसकी दीवार में टक्कर मार दी थी, जिससे वह दीवार के नीचे दब गई थी उसके पति ने उसे निकाला था, वह बेहोश थी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके पति ने उसे बताया था कि टैक्टर वाला टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चला रहा था। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि हाजिर अदालत आरोपी वही व्यक्ति है जिसने घटना वाले दिन उसकी दीवार में टक्कर मारी थी। इस प्रकार आहत शबनम बानों अ0सा0 2 ने भी आरोपी द्वारा उसकी दीवार में टैक्टर से टक्कर मार देना बताया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसने आरोपी मोहन को मौके पर देख लिया था परन्तु इस तथ्य का उल्लेख आहत शबनम के पुलिस कथन प्र0डी0 1 में नहीं है। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर आहत शबनम अ0सा0 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। परन्तु यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फरियादी मुबारकवेग अ0सा0 1 ने आरोपी मोहनलाल द्वारा टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वाहन दुर्घटना कारित करना बताया है एवं उक्त साक्षी का कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित रहा है, ऐसी स्थिति में आहत शबनम अ0सा0 2 के कथनों से अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है एवं फरियादी मुबारकवेग अ0सा0 1 के कथनों से संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को आरोपित टैक्टर को आरोपी मोहनलाल चला रहा था।

18. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह व्यक्त किया है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी मानपाल अ0सा0 3 एवं चतुरी अ0सा0 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी मानपाल अ0सा0 3 एवं चतुरी अ0सा0 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है परन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी मुबारकवेग अ0सा0 1 द्वारा स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि घटना वाले दिन आरोपित टैक्टर को आरोपी मोहनलाल चला रहा था एवं आरोपी मोहनलाल ने आरोपित टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी दीवार में टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी पत्नी को चोटे आई थी। उक्त साक्षी का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित रहा है ऐसी स्थिति में मात्र इस आधार पर कि प्रकरण में साक्षी मानपाल अ0सा0 3 एवं चतुरी अ0सा0 4 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

19. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क व्यक्त किया गया है कि फरियादी ने आरोपी को रंजिशन मिथ्या अपराध में संलिप्त किया है परन्तु लिये गये बचाव के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य आरोपी की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि फरियादी द्वारा आरोपी को मिथ्या अपराध में संलिप्त किया गया हो, ऐसी स्थिति में मात्र उक्त आधार पर आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

20. जहां तक बचाव साक्षी रामहंस ब0सा0 1 के कथन का प्रश्न है तो रामहंस ब0सा0 1 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी ने मुबारक के मकान में टैक्टर से टक्कर नहीं मारी थी एवं मुबारक ने मोहन के खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी परन्तु यह बात रामहंस ब0सा0 1 द्वारा कभी भी पुलिस को नहीं बताई गई है। उक्त साक्षी द्वारा प्रथम बार न्यायालय में ही यह कथन दिया गया है। यदि वास्तव में फरियादी द्वारा आरोपी की झूठी रिपोर्ट की गई थी एवं रामहंस को उक्त तथ्य की जानकारी थी, तो उसके द्वारा उक्त बात की जानकारी विवेचना के दौरान पुलिस को देनी चाहिए थी परन्तु उक्त साक्षी द्वारा ऐसा नहीं किया गया, इसके अतिरिक्त फरियादी मुबारकवेग अ0सा0 1 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से आरोपी द्वारा

उसके मकान में टैक्टर से टक्कर मारना बताया है। आहत शबनम अ0सा0 2 ने भी टैक्टर की टक्कर से उसकी दीवार गिर जाना बताया है, उक्त साक्षीगण का यह कथन अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अखण्डित रहा है, ऐसी स्थिति में साक्षी रामहंस ब0सा0 1 के कथनों से भी आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

21. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी मुबारकबेग अ0सा0 1 ने आरोपी मोहनलाल द्वारा टैक्टर को आरोपित टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उसकी दीवार में टक्कर मार देना बताया है। उक्त साक्षी का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कथन आरोपी द्वारा वाहन दुर्घटना कारित किये जाने के बिन्दु पर अखण्डित रहा है। आहत शबनम अ0सा0 2 ने भी टैक्टर की टक्कर से उसके मकान की दीवार गिरना बताया है। साक्षी मोहनलाल अ0सा0 5 जिसके द्वारा आरोपित टैक्टर की मैकेनिकल जांच कर प्र0पी0 7 की मैकेनिकल जांच रिपोर्ट तैयार करना बताया गया है, ने भी अपने कथन में यह बताया है कि टैक्टर के ब्रेक खराब थे एवं टैक्टर पुराना था, आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु पर अभियोजन की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से संदेह से परे यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपित टैक्टर को आरोपी मोहनलाल चला रहा था एवं आरोपी मोहनलाल ने आरोपित टैक्टर को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानवजीवन संकटापन्न किया था।

22. जहां तक आरोपी द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना बीमा के आरोपित टैक्टर चलाये जाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्यों को साबित करने का प्रारंभिक भार अभियोजन पर था, इसके पश्चात् उक्त तथ्य के खण्डन करने का भार आरोपी का था। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा ऐसी कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपी के पास आरोपित टैक्टर का रजिस्ट्रेशन एवं बीमा नहीं था। ए0एस0आई0 हिम्मत सिंह भदौरिया अ0सा0 6, जिसके द्वारा प्रकरण का अनुसंधान किया गया है ने भी अपने कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपी के पास घटना दिनांक को आरोपित टैक्टर चलाने का रजिस्ट्रेशन एवं बीमा नहीं था, इसके विपरीत हिम्मत सिंह भदौरिया अ0सा0 6 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्र 4 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने ड्राईविंग लाइसेंस और टैक्टर के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कागज उसे दिये थे। हिम्मत सिंह भदौरिया अ0सा0 6 का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपी के पास घटना दिनांक को टैक्टर का रजिस्ट्रेशन एवं बीमा नहीं था तथा आरोपी ने आरोपित टैक्टर को बिना रजिस्ट्रेशन एवं बीमा के चलाया था, ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने घटना दिनांक को आरोपित टैक्टर को बिना बीमा एवं रजिस्ट्रेशन के चलाया था अतः आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः आरोपी को मोटरयान अधिनियम की धारा [39/192](#) एवं [146/196](#) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

23. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 10.06.2015 को रात्रि करीबन 8:00 बजे फरियादी मुबारकबेग के मकान के सामने ग्राम निबरौल में लोक मार्ग पर अपने आधिपत्य के वाहन एच0एम0टी0 टैक्टर जिसका इंजन नं0 199085198 एवं चैचिस नं0 98148080060 था, को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी मोहनलाल को भा0दं0सं0 की धारा 279 के अंतर्गत दोषी पाती है।

24. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी मोहनलाल को मोटरयान अधिनियम की धारा [39/192](#) एवं [146/196](#) के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपी को भा0दं0सं0 की धारा 279 के अंतर्गत सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।

25. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थगित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च: —

26. आरोपी एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। आरोपी एवं फरियादी के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे।

27. आरोपी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपी द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपी द्वारा जिस उपेक्षापूर्ण तरीके से टैक्टर चलाते हुए मानव जीवन संकटापन्न किया गया है, उन परिस्थितियों में आरोपी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना उचित नहीं है। आरोपी को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आरोपी एवं फरियादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं आरोपी एवं फरियादीगण के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो चुके हैं, अतः आरोपी एवं फरियादीगण के मध्य हुए राजीनामे को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को न्यायालय उठने तक कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना संभव है। अतः यह न्यायालय आरोपी मोहनलाल को भा0दं0सं0 की धारा 279 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक के कारावास एवं आठ सौ रूपए के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिक्रम होने पर पांच दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित करती है।

28. आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

29. प्रकरण में जब्तशुदा टैक्टर अपील अवधि पश्चात् उसके पंजीकृत स्वामी को बापिस किया जावे। प्रकरण में जब्तशुदा ट्रॉली पूर्व से सुपुर्दगी पर है अतः उसके संबंध में सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् निरस्त समझा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

30. आरोपी जितनी अवधि के लिये न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में न्यायिक निरोध में नहीं रहा है।

स्थान — गोहद

दिनांक — 12/03/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही /—
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही /—
(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)